समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला आपूर्ति शाखा)

Email-dsogopalganj@gmail.com

विज्ञापन संख्या–01/2025

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1663/खा0 पटना दिनांक–18.04.2023 एवं पत्रांक –प्र07–ज0वि0प्र0 (अनुज्ञप्ति)–05/2025 दिनांक–30.04.2025 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–14396 दिनांक–10.09.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज एवं हथुआ अनुमंडल के जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियॉ निम्न प्रकार हैः–

रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी।

क्र0	अनुमंडल का नाम	गैर आरक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिलायें (3%)	आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति	योग	दिव्यांग	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए
		35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षित रिक्तियों की संख्या									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गोपालगंज (ग्रामीण)	05	02	01	03	03	-	02	16	OH-01	01
		02	0	0	01	01	-	0	04		
	गोपालगंज (शहरी)	01	01	01	-	01	-	01	5	-	-
		0	0	0	0	0	-	0	0		
2	हथुआ (ग्रामीण)	03	05	01	04	02	-	02	17	MD-01	01
		01	02	0	01	0	-	-	04		
	हथुआ (शहरी)	03	03	01	02	-	-	01	10	HH-01	01
		01	01	0	0	-	-	0	02		
कुल योगः–		**12**	**11**	**04**	**09**	**06**	-	**06**	**48**	**03**	**03**
कुल योग महिला		**04**	**03**	**0**	**02**	**01**	-	**0**	**10**		

इस प्रकार कुल 48 (अड़तालीस) जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएगें।

1. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान/जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए) अनुसूची–1 के प्रपत्र में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची–2 के प्रपत्र में आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रीक पास और व्यस्क होगा। परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगीः– (क) स्वयं सहायता समूह (ख) महिलाओं की सहयोग समितियॉं (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियॉं (घ) शिक्षित बेरोजगार (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नही किया जायेगाः–

I एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जाएगी। पिता,माता, भाई/भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाशा में आऐंगे।

II मुखिया, सरपंच, पंच वार्ड सदस्य पंचायत समिति के सदंस्य, जिला परिशद के सदस्य, विधायक, विधान पार्शद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

III आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जाएगी।

IV अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जाएगी।

V आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अन्तिम रूप से न्यायलय द्वारा सिद्धदोश व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नही की जाएगी।

VI सरकार में लाभ के पद धारन करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जाएगी।

5. अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु आवेदन पत्र अनुमंडलवार दिनांक–12.09.2025 से 27.09.2025 तक कार्यालय अवधि में केवल निबंधित डाक द्वारा ही स्वीकार होगा। निर्धारित तिथि के प चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।
6. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा। अर्थात वर्तमान विज्ञापन के आलोक में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र नए सिरे से आवेदकों द्वारा भरा जायेगा।
7. दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतनी को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
8. पंचायत/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ के कार्यालय में प्राप्त कर सकते है अथवा गोपालगंज जिला के बेवसाईट पर अवलोकन कर सकते है।
9. यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नही हो तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्न पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नही हो तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (Vice versa) द्वारा भरा जाएगा।

नोटः–

- आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खीचा हुआ) पॉच प्रति में संलग्न करना होगा जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दाये कोने में चिपकाना होगा।
- आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे है।
- शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- आचरण प्रमाण पत्र अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधि भापथ पत्र की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- आवेदक इस आशय का स्व–घोषणा देंगे कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविश्ट की गयी सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते है, उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

पंचायतवार/वार्डवार रिक्तियो की विस्तृत विवरणी तथा आवेदन प्रपत्र अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 गोपालगंज जिले के बेवसाइट www.gopalganj.bih.nic.in पर अवलोकन अथवा प्राप्त कर सकते है।

निविदा की विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज

PR- 013253 (Food) 2025-26

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।